फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रोडीबाई | **विपक्षी : श्रीमती कंकुडी**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 19/24**

जीसीएमएस : 2024/48

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.03.2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 426 पर दर्ज आराजी नम्बर 747, 748, 749, 750 किता 4 कुल रकबा 1.3597 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं विपक्षी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में दिनांक 05.09.2024 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं हिस्सा विशेष का विक्रय कर देती है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। इसलिए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 426 पर दर्ज आराजी नम्बर 747, 748, 749, 750 किता 4 कुल रकबा 1.3597 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:33 IST
Reason: SelfAttested